कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / माध्यमिक / अ–2–3 / भनावमा / मूल / 2010–11 /   दिनांक : 15-1-20

विज्ञप्ति

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी मान्यता / सहायता प्राप्त विद्यालयों के भवन / नाम / वर्ग परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी / अंग्रेजी) की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0स0	विवरण	निर्धारित समयावधि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत करना	15 फरवरी, 2011
2	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवाकर नियमानुसार अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित इस कार्यालय का उपलब्ध करवाना	15 मार्च, 2011

आवेदन पत्र एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(भास्कर ए0 सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/माध्यमिक/अ–2–3/मनाक्षमा/मूल/2010–11/ दिनांक : 10/1/2011

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– गैर सरकारी मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के आवेदन के सम्बन्ध में।

लेख है कि गैर सरकारी मान्यता/सहायता प्राप्त विद्यालयों के भवन/नाम/वर्ग परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के सत्र 2011–12 के प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में निरीक्षण दल का गठन कर निरीक्षण दल से एक सप्ताह में निरीक्षण प्रतिवेदन मय टिप्पणी के प्राप्त करें। निरीक्षण दल निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन की पर्याप्तता के सम्बन्ध मे अपनी स्पष्ट टिप्पणी करें। निरीक्षण दल की टिप्पणी की समीक्षा कर विद्यालय का आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित इस कार्यालय को निम्नानुसार आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना है :–

निर्धारित तिथियाँ इस प्रकार से है :–

क्र०स०	विवरण	निर्धारित समयावधि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत करना	15 फरवरी, 2011
2	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवाकर नियमानुसार अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना	15 मार्च, 2011

भवन/नाम/वर्ग परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) हेतु शासन के पत्रांक प0 8 (55) शिक्षा–5/04 जयपुर दिनांक 21/9/05 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 6/10/05 के अग्रांकित अनुसार देय है किसी भी प्रकार के (भवन/नाम/वर्ग) परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के लिए *आवेदन शुल्क* की राशि माध्यमिक विद्यालय के लिए 6500/– एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 8000/– निर्धारित है। उक्त आवेदन शुल्क राशि का ड्राफ्ट आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

राज्य सरकार के पत्रांक प0 8 (55) शिक्षा–5/06 जयपुर दिनांक 23/5/07 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 01/06/2007 के अनुसार उसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में भवन परिवर्तन करने पर 2 कि.मी. की दूरी की सीमा मे शिथिलन प्रदान करते हुए कहीं भी भवन परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय के लिए 5000/– एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 7000/– रूपये के *अतिरिक्त शुल्क* का ड्राफ्ट सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आप अपने स्तर पर समाचार पत्रों से इसका सम्पूर्ण प्रचार प्रसार करें क्योंकि उपरोक्त तिथियों के पश्चात् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(भास्कर ए. सावन्त)
आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5), विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
(3) सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर
(4) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विद्यालय भवन/नाम/वर्ग/माध्यम परिवर्तन एवं अतिरिक्त माध्यम हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2011–12

1	समिति/ट्रस्ट का नाम एवं पता	
2	समिति/ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
3	समिति/ट्रस्ट का रजिस्ट्रार से प्रमाणित विधान (प्रति संलग्न करें)	
4	समिति/ट्रस्ट की प्रबंध समिति के नामों की सूची (रजिस्ट्रार से प्रमाणित)	
5	*प्रबन्ध कार्यकारणी का वांछित प्रस्ताव (समस्त सदस्यों से हस्ताक्षरित)*	
6	*शिक्षक अभिभावक परिषद का वांछित प्रस्ताव (समस्त सदस्यों से हस्ताक्षरित)*	
7	संचालित विद्यालय का नाम एवं वर्तमान पता	
8	प्रस्तावित परिवर्तन (भवन/नाम/वर्ग एवं अतिरिक्त माध्यम)	
9	विद्यालय भवन में अग्नि शमन यंत्र लगा होने का, मोबाईल टॉवर विद्यालय परिसर में नहीं लगा होने का तथा विद्यालय परिसर से हाईटेन्शन विद्युत तार नहीं गुजरने का प्रमाण पत्र	
10	विद्यालय भवन के पर्याप्तता का प्रमाण पत्र	
11	भवन का मूल ब्ल्यू प्रिन्ट (पी.डब्ल्यू.डी./पंचायत समिति अभियंता से प्रमाणित)	
12	*भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (पी.डब्ल्यू.डी./पंचायत समिति अभियंता से प्रमाणित)*	
13	*कक्षा/संकायवार विद्यार्थी संख्या*	
14	*माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति एवं मान्यता की प्रति*	
15	संस्था का संस्थापन विवरण	
16	नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित नाम का क्षेत्र में अन्य विद्यालय नहीं होने का प्रमाण पत्र	
17	भवन परिवर्तन हेतु	
	(1) प्रस्तावित भवन का पता	
	(2) प्रस्तावित का मालिकाना हक (स्वयं का/किरायेनामे की प्रति संलग्न करें)	
	(3) वर्तमान भवन एवं प्रस्तावित भवन के मध्य दूरी का प्रमाण पत्र जो कि निरीक्षण दल *अधिकारी द्वारा दिया हुआ हो।*	
	(4) प्रस्तावित भवन नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित होने का संक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रभाण पत्र	
	(5) प्रस्तावित भवन की पर्याप्तता का प्रमाण पत्र	
	(6) प्रस्तावित भवन के दो कि.मी. की परिधि में राजकीय/गैर राजकीय मा0वि0/उ0मा0वि0 नहीं होने का निरीक्षण दल द्वारा जारी प्रमाण पत्र	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं एवं संलग्न सभी दस्तावेज सही एवं प्रमाणिक है। हमने कोई भी सूचना न तो गलत दी है और ना ही कोई सूचना छिपाई है। सूचनाएं गलत पाये जाने पर संस्था के विरूद्व विभागीय/ कानूनी कार्यवाही की सकती है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर　　　　　　अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर

निरीक्षण दल की अनुशंसा : प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन अभिलेखों से भलीभांति कर लिया गया है तथा भवन सुरक्षित, पर्याप्त एवं अग्नि शमन संयत्रशुदा है तथा मोबाईल टॉवर विद्यालय परिसर में नहीं लगा है व विद्यालय परिसर से हाईटेन्शन विद्युत *तार नहीं गुजर रहे हैं। विद्यालय भवन के वर्तमान एवं प्रस्तावित भवन के बीच की दूरी .... कि0मी0 है जिसका निरीक्षण दल ने सत्यापन कर लिया है। अत: प्रस्तावानुसार अनुशंसा की* जाती है।

निरीक्षणकर्ताओं के हस्ताक्षर 1.　　　　2.　　　　3.

जि0शि0अ0 की अनुशंसा : प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

महत्वपूर्ण :– आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सभी प्रतियां निरीक्षण दल के संयोजक अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।